कानून की उत्पत्ति व प्रकृति विषयक सिद्धांत (Theories of origin and Nature of law)

(1) कानून की उत्पत्ति व उसकी प्रकृति से संबंधित कई सिद्धांत है। यहाँ हम 'प्राकृतिक सिद्धांत' (Natural theory) को लेते हैं जो कानून को अनश्वर, विश्वजनित, स्थाई, विवेकसंगत एवं अपरिवर्तनीय मानता है। प्रकृति इस कानून की निर्मात्री है और इस कारण यह सम्यक विवेक पर आधारित है। इसके दो पक्ष है - सकारात्मक तथा नकारात्मक। सकारात्मक रूप में, यह व्यक्ति को अपने कर्तव्य के पालन के आह्वान का आदेश देता है, नकारात्मक रूप में यह किसी छलपूर्ण अथवा बुरे कृत्य के करने के विरुद्ध चेतावनी देता है। ऐसी स्थिति में प्राकृतिक कानून उच्चतर कानून है तथा राज्य के कानून को वैध होने की खातिर उसके अनुकूल होना चाहिए।

प्राकृतिक कानून का सम्बन्ध मानवीय आचरण से है और इस कारण तर्क वैज्ञानिक कानून से सर्वथा भिन्न है; यह मानपरक कानून है, यह भविष्य के बारे में कल्पनापरक अथवा ज्ञान की बातें नहीं बल्कि मानपरक है और इसलिए उसका आशय व्यवहार के उन नियमों को दर्शाना है जिनका अनुकरण करना चाहिए। परन्तु मानवों की इच्छाएं व आवश्यकताएं बदलती रहती है तथा हो सकता है कि वे मार्ग जिन्हें एक पीढ़ी विश्वजनीन मानती है दूसरी को कदापि स्वीकार्य न हो।

(2) आदेशात्मक सिद्धांत (Imperative theory) - प्राकृतिक कानून के सिद्धांत से भिन्न, यह सिद्धांत सकारात्मक अर्थ में कानून शब्द का प्रयोग करता है। इसकी मान्यता के अनुसार जिन कानूनों के साथ न्यायविदों अथवा राजनीति वैज्ञानिकों को संबंध रखना है वे किसी सुनिश्चित राजनीतिक सत्ता के आदेश है। 'वैधानिक सकारात्मकवाद' के नाम से प्रसिद्ध यह सिद्धांत निश्चित करता है कि केवल वही मानदण्ड वैधानिक रूप में वैध है जिन्हें किसी प्रभुता-सम्पन्न राज्य की सरकार ने अपने लिखित अथवा अलिखित संविधान द्वारा

Avinash

निश्चित रूप में स्थापित किया जाता है अथवा मान्यता प्रदान की है। हॉब्स के अनुसार, बाध्यकारिता के बिना समझौते केवल शब्दों की तरह है तथा उनमें मानव की रक्षा करने की कोई शक्ति नहीं है।

(3) ऐतिहासिक सिद्धांत (Historical Theory) – यह कानून को समाज में क्रियाशील मूक शक्तियों का परिणाम मानता है। कानून का निर्माण न तो प्रकृति ने किया है, न यह राज्य द्वारा सप्रयास की गई रचना है। इस अर्थ में यह अपरिहार्य परन्तु अदृश्य सामाजिक विकास का परिणाम है। ऐसी स्थिति में, यह राज्य से स्वतंत्र तथा उससे पूर्ववर्ती है। राज्य का कार्य कानून की उत्पत्ति करना नहीं अपितु केवल इसे मान्यता प्रदान करना तथा लागू करना है। पुन: ब्राइस का मत है: कानून सदैव व सर्वत्र राज्य द्वारा निर्मित नहीं हो सकता क्योंकि ऐसे प्रमाण दिए जा सकते हैं जहां समाज में राज्य की स्थापना से पूर्व कानून का अस्तित्व था। अन्य शब्दों में, इस सिद्धांत की यह मान्यता है कि राज्य का कानून लोगों के ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया में देखा जा सकता है। इसलिए, कानून की स्थापना के पीछे लोगों की इच्छा के दबाव की शक्ति है।

(4) समाजवैज्ञानिक सिद्धांत (Sociological Theory) – इस सिद्धांत के अनुसार, कानून सामाजिक शक्तियों की उपज है और इस कारण यह निश्चित रूप में सामाजिक आवश्यकताओं में से विकसित होता है। इस सिद्धांत के समर्थक विद्वानों की यह धारणा है कि लोगों के दायित्व इस तथ्य पर आधारित होते हैं कि वे समाज में रहते हैं तथा उन्हें उसी रूप में रहना चाहिए ताकि वे जीवित रह सकें और यह कि समाज में रहने के लिए निश्चित प्रकार के आचरण की आवश्यकता होती है। कानून उन सामान्य या विशेष, लिखित या अलिखित, नियमों का समग्र रूप है जो व्यक्तियों की भावनाओं या उनकी सद्भावना में से उपजते हैं।

Scanned with CamScanner

इस सिद्धांत का यह गुण है कि यह वैधानिक दायित्वों के क्षेत्र में सामाजिक आवश्यकताओं की भूमिका पर बल देता है। पुनः इस तथ्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि कानून का अस्तित्व सामाजिक प्रयोजनों की पूर्ति के लिए हुआ है तथा लोग अपनी सद्भावना से उसकी आज्ञा का पालन करते हैं।

(5) मार्क्सवादी सिद्धांत (Marxian theory) – यह पहले कानून को राज्य से संबद्ध करता है और फिर दोनों को समुदाय की सामाजिक व आर्थिक संरचना से सम्बद्ध कर देता है। मार्क्स के अनुसार, आर्थिक संरचना वह वास्तविक आधार है जिस पर राजनीतिक तथा वैधानिक ताने-बाने का निर्माण होता है। क्योंकि वैधानिक सम्बन्धों की जड़ें जीवन की भौतिक परिस्थितियों में निहित हैं; अतः कानून केवल प्रभुत्व-सम्पन्न वर्ग की इच्छा तथा हितों को अभिव्यक्त करता है। जैसा एक प्रसिद्ध सोवियत न्यायविद ने कहा : हर न्यायालय राज्य में प्रभुत्व-संपन्न वर्ग का उपकरण होता है और उसके हितों पर निर्भर होते हुए उन्हें प्रभाप्रदर्शित करता है। पुनः राजनीति की तरह, कानून का उदय भी वर्ग तथा राज्य के उदय के साथ हुआ। यह शासक वर्ग की इच्छा है जो वैधानिक रूपों में अभिव्यक्त होती है तथा यह शासक वर्ग के राजनीतिक व आर्थिक हितों की रक्षा करता है।

इसकी यह विशेषता है कि यह वैधानिक दायित्व के सिद्धांत को समाज के चरित्र से जोड़ता है। केवल यही सिद्धांत समाज के आर्थिक ढांचे पर बल देता है जिसका राजनीतिक व वैधानिक संस्थाओं व उनकी कार्यशैली पर निर्णायक प्रभाव पड़ता है। हालांकि मार्क्सवादी सिद्धांत 'कानून के शासन' के विषय को, जिसे प्रजातांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण लक्षण माना जाता है, अस्वीकार करता है। मार्क्सवादी व्याख्या केवल साम्यवादी देश में चल सकती है जहां शासन की शैली सर्वाधिकारवादी होती है।

Aimaz